न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री भँवर लाल मेहरा, आई.ए.एस

नजरसानी प्रार्थना पत्र संख्या : 08/2014 एल.आर.एक्ट (विविध रिव्यू)

शौकत अली पुत्र यारू खॉ जाति मुसलमान निवासी रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

——— **प्रार्थी**

—: बनाम :—

1. मु. लाला खातून पत्नि श्री सतन जाति मुसलमान निवासी रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
2. सुल्ताना पुत्री सतन जाति मुसलमान निवासी रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
3. सामी पुत्री सतन नाबालिग जरिये कुदरती वली माता मु. लाला खातून पत्नि सतन जाति मुसलमान निवासी रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
4. गफूर खॉ पुत्र सतन नाबालिग जरिये कुदरती वली माता मु. लाला खातून पत्नि सतन जाति मुसलमान निवासी रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
5. सत्तार खॉ पुत्र श्री साहू खॉ जाति मुसलमान निवासी चक 2 एल.एल.के. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
6. यारू पुत्र साहू जाति मुसलमान निवासी रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
7. उप पंजीयक एंव तहसीलदार, घड़साना।

——— **अप्रार्थीगण**

उपस्थितः श्री दाऊलाल हर्ष — अभिभाषक प्रार्थी
श्री राजेन्द्रसिंह शिमला — अभिभाषक अप्रार्थी सं.1 ता 6

निर्णय

दिनांक : 25.02.2021

यह नजरसानी (प्रार्थना पत्र) राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, बीकानेर निर्णय दिनांक 09—04—2012 के विरुध्द प्रस्तुत हुई है ।

1— प्रार्थना पत्र नजरसानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि साहू पुत्र सुमेर खॉ मुसलमान के नाम से एक कृषि भूमि चक 2 एम.जी.एम.(बी) के मु.नं. 57/49 तादादी 4.807 हैक्टेयर खातेदारी थी। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 1 ता 6 साहू पुत्र सुमेर खॉ के वारिसान हैं। साहू के देहावसान के पश्चात् प्रार्थी ने तहसीलदार, घड़साना के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री साहू ने उक्त कृषि भूमि की वसीयत मेरे हक में की हुई है, जिसके आधार पर तहसीलदार, घड़साना ने विधिवत् सुनवाई नहीं करते हुए औपचारिक तौर पर सार्वजनिक नोटिस साया करवा कर बिना शेष वारिसान को सुने ही एकतरफा तौर पर इंतकाल दर्ज करने के आदेश दिनांक 19.07.2007 पारित किया गया।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

इस आदेश की पालना में इंतकाल सं. 127 दिनांक 28.07.2007 स्वीकृत किया गया, जिसके विरूद्ध प्रथम अपील न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें पक्षकारान की सुनवाई करते हुए तहसीलदार, घड़साना के आदेश दिनांक 19.7.2007 निरस्त करते हुए प्रकरण साहू खॉ के सभी वारिसान को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करने के निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया, जिससे व्यथित होकर यह नजरसानी हमारे समक्ष इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2— विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया है कि अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर में अन्तर्गत धारा 75 एलआर एक्ट तहसीलदार, घड़साना के निर्णय दिनांक 19.07.07 के विरूद्ध पेश की गई। इस आदेश के पश्चात् वसीयत के आधार पर इंतकाल संख्या 127 दिनांक 28.07.07 को इन्तकाल तस्दीक कर दिया गया, जिसके विरूद्ध कोई अपील पेश नहीं की गई। इसलिए अपील संधारण योग्य नहीं होते हुए भी अपील स्वीकार करने में कानूनी गलती हुई है। अपीलांट लाला खातून वगैरह का कथन है कि तहसीलदार द्वारा संबंधित पक्षकारों को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, जबकि सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी की गई, लेकिन निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति नहीं पेश की गई । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विवादित आदेश की तारीफ में नहीं आने के कारण प्रथम अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार जिला कलक्टर या उप खण्ड अधिकारी को था, लेकिन अदालत अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर द्वारा इस बिन्दु पर कोई गौर नहीं करते हुए आदेश पारित करने की गलती की है। अपीलांट्स लाला खातून वगैरह को तमाम तथ्यों की जानकारी थी लेकिन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये और उत्तरवादीगण सं. 1 ता 3 को सुनवाई का अवसर नहीं मिला जबकि उत्तरवादी संख्या 1 शौकत के नाम इंतकाल संख्या 127 तस्दीक होने के पश्चात् एक मात्र खातेदार होने से ओरियेन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स से रहन मुक्त करवा कर इंतकाल सं. 129 दर्ज होने के पश्चात् जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 21.09.07 को श्रीमती गोमती देवी पत्नि नानकराम कुम्हार को बेय कर दी तथा खरीददार के नाम इंतकाल संख्या 130 तस्दीक कर दिया गया । इन तथ्यों की जानकारी होते हुए भी अपीलांट्स ने न्यायालय को नहीं बताया। इसलिए एरर अपेरेन्ट ऑन दी फेस ऑफ रिकार्ड होने से नजरसानी स्वीकार योग्य है। अपीलांट की प्रथम अपील मियाद बाहर थी, जिस पर कोई विवेचना नहीं की गई। मातहत अदालत ने एकपक्षीय बहस सुन कर निर्णय पारित किया है। उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

3— विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण सं. 1 ता ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि गौमतीदेवी को विक्रय कर दी है। अतः अब प्रार्थी को नजरसानी करने का हक नहीं है। तहसीलदार, घड़साना को संबंधित पक्षकारों (साहू खॉ के सभी वारिसान)

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु अपीलाधीन आदेश दिया गया है, जो न्याय हित में व उचित है। अपील रिव्यू केवल मात्र विधिक तथ्यों पर ही हो सकती है।

4— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन व मनन किया। प्रकरण में वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में साहू खॉ ने अपने जीवनकाल में प्रार्थी के हक में वसीयत की थी। साहू खॉ के मरणोपरान्त प्रार्थी वारिस शौकत अली ने उक्त वसीयत के आधार पर अपने नाम से इंतकाल सं. 127 दर्ज करवा लिया। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण का कथन है कि वसीयत के संबंध में उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना ही साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया गया। सार्वजनिक विज्ञप्ति की भी उन्हें कोई सूचना नहीं थी। हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली को अवलोकन किया तो पाया कि पत्रावली की आदेशिका में सार्वजनिक सूचना प्रकाशन का उल्लेख है परन्तु किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुई और कब हुई, इसका कोई वर्णन नहीं किया गया है। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने बहस में यह भी कथन किया है कि प्रार्थी ने वादग्रस्त कृषि भूमि गोमतीदेवी को आगे बेचान कर दिया है। इसलिए नजरसानी प्रस्तुत करने का उसे अब कोई हक नहीं रह जाता है। चूँकि पक्षकारान के मध्य विवाद साहू खॉ द्वारा निष्पादित वसीयत एवं वसीयती इंतकाल के संबंध में है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र में किसी विधिक तथ्यों के तय होने से छूटने का कोई उल्लेख नहीं किया है, जिस पर विचार किया जा सके। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर ने प्रथम अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया है, जिसमें प्रकरण को तहसीलदार, घड़साना को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) इस निर्देश के साथ किया गया है कि प्रकरण में मृतक साहू खॉ के सभी वारिसान को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

उपरोक्त विवेचना को मध्यनजर रखते हुए अधिनस्थ न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.04.2012 यथावत रखते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र (रिव्यू) निरस्त किया जाता है। अधिनस्थ की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ वापिस हो। यह पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मँवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर